कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषयः– परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम– 2011–12

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान से संबंधित सभी स्तर के विद्यालयों में विद्यालय स्तर पर ली जाने वाली गृह परीक्षाओं एवं कक्षा कक्षोन्नति नियमों के संबंध में अब तक जारी विभाग स्तर के नियमों/उप नियमों एवं समय–समय पर जारी संशोधनों/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011–12 से नवीनतम नियम प्रसारित किये जा रहे हैं। ये नियम कक्षा 9 से 12 तक के लिए मान्य होंगे।

उक्त नियम शैक्षिक सत्र 2011–12 से लागू माने जायेंगे।

संलग्नः– परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम

23/3/12

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांकःशिविरा/माध्य/मा/स/22497/कक्षो0नियम/11–12 दिनांकः 25/3/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशेषाधिकारी, शिक्षा(ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार,जयपुर
2. सचिव,माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
3. समस्त उपनिदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
5. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ

उपनिदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम ::
(शैक्षिक सत्र 2011–12 से लागू)

एज्यूकेशन कोड (शिक्षा विभाग) के अध्याय 8 में प्रकाशित नियमों, उपनियमों एवं समय समय पर जारी संशोधनो/परिवर्तनों के अतिक्रमण में शैक्षिक सत्र 2011–12 से निम्न नियम प्रसारित किये जाते है :–

(1) ये नियम परीक्षा एवं कक्षोन्नति नियम कहलायेगें तथा राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सभी राजकीय एवं गैर राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की गृह परीक्षा पर लागू होंगे।

(2) सामान्य नियम :–

2.(क) परीक्षा प्रवेश योग्यता :–

1. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षाओं में केवल वे ही विद्यार्थी प्रविष्ठ हो सकेंगे जिन्होने किसी भी राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में सत्र पर्यन्त अध्ययन किया हों।
2. कक्षा 9 व 11 वार्षिक परीक्षा में उसी विद्यार्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने कम से कम दो लिखित सामयिक परखें दी हो या एक लिखित परख और अर्द्धवार्षिक परीक्षा दी हो और जिस परीक्षा/परख में वह सम्मिलित नही हुआ हों उसके कारणों की प्रामाणिकता से संस्था प्रधान को पूर्णतया सन्तुष्ट कर दिया हो।
3. बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थियों पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर के नियम लागू होंगे।

2.(ख) उपस्थिति गणना एवं अनिवार्यता :–

1. कक्षा 9 व 11 तक में नियमित छात्रों की उपस्थिति गणना विद्यालय सत्रारम्भ होने की तिथि से तथा नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियो की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि (शिविरा पंचांग में अंकित अंतिम प्रवेश तिथि तक) से वार्षिक परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक मानी जायेगी। कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी की उपस्थिति की गणना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार होगी।
2. कक्षा 9 एवं 11 की पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के सात दिन के बाद से की जायेगी।
3. यदि विद्यार्थी शिक्षण सत्र के मध्य में मान्यता प्राप्त संस्था से स्थानान्तरणवश किसी अन्य विद्यालय से प्रवेश ले तो उनकी उपस्थिति की गणना करते समय पूर्व विद्यालय की उपस्थिति मंगवाकर जोड़ली जाय।
4. स्थानान्तरित अथवा प्रवृजित विद्यार्थियों को प्रवेश देने से पूर्व ही उपस्थिति के नियम से अवगत करादिया जाय और यदि उसकी उपस्थिति न्यून होने की सम्भावना हो तो उन्हे प्रवेश ही न दे।

5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित मूल परीक्षा / पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की उपस्थिति गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।
6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर कक्षा 11 में नियमित प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। इसकी उपस्थिति की गणना प्रवेश लेने की तिथि से होगी।
7. वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विद्यार्थियों को विद्यालय के कुल कार्य दिवसों अथवा छात्र के प्रवेश उपरान्त कुल कक्षा मिटिंग में से निम्नानुसार उपस्थित रहना अनिवार्य है :–

कक्षा 9 एवं 11	75 प्रतिशत उपस्थिति

8. यदि संस्था प्रधान संतुष्ट हो कि विद्यार्थी रूग्णावस्था के कारण अनुपस्थित रहा है तो विद्यालय के कुल दिवसों की प्रतिशत न्यूनतम के आधार पर विद्यार्थी को निम्न प्रकार से मुक्त करके वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकते है :–

1.कक्षा 9 एवं 11	30 मिटिंग (15 दिन की उपस्थिति का लाभ)

2. रूग्णावस्था के मामलों में कक्षा 9 व 11 के विद्यार्थियो के सन्दर्भ में न्यूनतम 60 प्रतिशत उपस्थिति होने पर ही सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर विद्यार्थी परीक्षा में बैठने का पात्र होगा।

2.(ग) परीक्षा तैयारी अवकाश :–

1. शिविरा पंचांग के निर्देशानुसार कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु एक दिन का तथा 9 तथा 11 के लिए वार्षिक परीक्षा हेतु दो दिन का परीक्षा तैयारी अवकाश दिया जावेगा परन्तु उक्त दिवसों में विद्यालय खुला रहेगा, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी अभिलेख तथा परीक्षा से संबंधित कार्य पूरा करेंगे। यह अवकाश रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों के अतिरिक्त होगा।
2. कक्षा 10 एवं 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को माध्यमिक / उच्च माध्यमिक परीक्षा की पूर्व तैयारी हेतु बोर्ड परीक्षा आरम्भ होने की तिथि से पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्देशित अथवा 14 दिवसों का पूर्व तैयारी अवकाश दिया जायेगा जिसमें प्रथम 7 दिवसों में विद्यार्थियों हेतु विशेष कक्षाओं का आयोजन इस ढंग से किया जाए ताकि परीक्षा में अधिकतम शैक्षिक उपलब्धि हो सकें।

2.(घ) प्रश्न पत्र व्यवस्था :–

1. सामयिक परखों में प्रश्न पत्र लिखा कर अथवा श्यामपट् पर अंकित करवाये जायेगे तथा प्रश्न पत्र सुरक्षित रखे जावे।
2. किसी परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या 10 से कम होने पर प्रश्न पत्र कार्बन पेपर से सुपाठ्य हस्त लिखित अथवा टंकित करवाये जावे। 10 से अधिक

विधार्थी होने पर प्रश्न पत्र कमप्यूटर से टंकित करवाकर छाया प्रति दी जा सकेंगी।

3. कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक परीक्षा/अर्द्धवार्षिक परीक्षा/पूरक परीक्षा/पुनः परीक्षा एवं कक्षा 10 एवं 12 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा हेतु जिला समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत मुद्रित प्रश्न पत्रों को ही उपर्युक्त परीक्षाओं के लिए प्रयोग में लिए जावे। गत वर्षों के बचे हुए प्रश्न पत्रों का उपयोग कतई नही किया जावे।
4. समस्त प्रकार की मान्यता प्राप्त गैर राजकीय शिक्षण संस्थाओं को भी जिला समान परीक्षा योजना के तहत प्रश्न पत्र लेने अनिवार्य हैं।

2.(ई) सामयिक परखें एवं परीक्षाएं :—

1. संबंधित सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय की तीन सामयिक परखें होंगी।
2. सत्र में विभागीय पंचांग में प्रदत्त निर्देशानुसार दो परीक्षाएं होगी।
   अ— अर्द्ध वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 से 12)
   ब— वार्षिक परीक्षा (कक्षा 9 एवं 11)
   नोट :— कक्षा 9 से 12 की अर्द्ध वार्षिक परीक्षा एवं कक्षा 9 व 11 की वार्षिक परीक्षा शिविरा पंचांग में प्रदत्त निर्देशों के अनुसार आयोजित की जावें।

2.(च) परीक्षा परिणामों की घोषणा :—

संस्था प्रधानं द्वारा प्रत्येक सामयिक परख व अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रगति पत्र अभिभावकों को विद्यालय में आमन्त्रित कर अवलोकन करवाया जाए। शिविरा पंचांग के अनुसार निर्दिष्ट दिनांक को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर सूचना पट्ट पर प्रसारित करने के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रगति पत्र अभिभावको को भेजे भावे।

2.(छ) पूर्णांक :—

1. कक्षा 9 से 12 हेतु विभिन्न परखों एवं परीक्षाओं के परिणाम के पूर्णांक विभाग द्वारा जारी मूल्याकन योजना के अनुसार होंगे।
2. बोर्ड कक्षाओं हेतु पूर्णांक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशों एवं नियमानुसार निर्धारित होंगे।

(3) उत्तीर्णता नियम :—

1. विद्यार्थियों को उनकी तीन सामयिक परखों अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्ताओं के योग को मिलाकर/एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांको के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जायेगा। कक्षा 9 एवं 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नतिं/उत्तीर्ण का अधिकारी माना जायेगा, जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हो। परन्तु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करने अनिवार्य होंगे।
2. जिन विषयों में सैद्धान्तिक व प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग—अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई कृपांक अंक देय नही है।
3. तीनो परखों का योग अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हों तो उन्हे अगले पूर्णाक में परिवर्तित कर दिया जावे।

4. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परख नहीं होती है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक लिखित सामयिक परख आयोजित कर एक परख, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जायेगा।

5. राज्य सरकार द्वारा नवक्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा/पूरक परीक्षा का परिणाम विलम्ब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चूकी हो उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णाकों के योग के आधार पर घोषित किया जायेगा।

6. राजस्थान स्टेट ऑपन स्कूल, जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलम्ब से प्रवेश लेने वाले (अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व) का परीक्षा परिणाम अर्द्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख एवं वार्षिक परीक्षा के पूर्णाक के आधार पर घोषित होगा।

(4) रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना :–

1. यदि कोई विद्यार्थी (कक्षा 9 व 11) अपनी रूग्णावस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नही रहा है तो इसे उक्त परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से एक सप्ताह की समयावधि में रूग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. अन्तिम परीक्षा परिणाम उन्ही विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होने कम से कम दो सामयिक परखें तथा वार्षिक परीक्षा अथवा एक सामयिक परख, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो।

(5) कृपांक :–

1. कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचारण एवं व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम दो विषयों में कृपांक दिये जा सकते हैं।
2. कक्षा 9 एवं 11 में यदि विद्यार्थी एक ही विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णाक के अधिकतम 5 प्रतिशत कृपांक दिए जा सकते है और यदि विद्यार्थी दो विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णाक के अधिकतम 2 प्रतिशत कृपांक दिये जा सकते है।
3. रूग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे व उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(6) श्रेणी निर्धारण नियम :–

1. 60 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी।
2. 48 प्रतिशत या उससे अधिक परन्तु 60 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर द्वितीय श्रेणी।
3. 36 प्रतिशत व उससे अधिक परन्तु 48 प्रतिशत से कम प्राप्तांक होने पर तृतीय श्रेणी।
4. 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता मानी जायेगी।
5. अगर काई विद्यार्थी चिकित्सा (सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर) में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नही हुआ तो उसका श्रेणी/स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जायेगा :–

"विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के अनुसार कक्षा में श्रेणी/स्थान का निर्धारण किया जायेगा।"

6. श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृहद योग के आधार पर ही होगी। अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नही जोड़ें जावेगे।
7. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी को दी जाने वाली अंकतालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किये गये अंकों के साथ, पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंकतालिका जारी करदी जावे।

(7) पूरक परीक्षा नियम :–

(अ) पात्रता :–

1. पूरक परीक्षा अधिकतम किन्ही दो विषयों में दी जा सकेगी।
2. संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25 प्रतिशत प्राप्त करना आवश्यक है।

(ब) परीक्षा आयोजन :– शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोज्य होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे।

(स) पूर्णांक :– प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जावेगा।

(द) परीक्षा उत्तीर्णता :– वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषय/विषयों में 36 प्रतिशत अंक अलग–अलग प्राप्त किये हो। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिये जायेंगे।

(य) परीक्षा परिणाम :– शिविरा पंचांग मे निर्दिष्ट दिनांक पर पूरक परीक्षा परिणाम घोषित किया जावे।

(र) परीक्षा शुल्क (प्रति विषय) :– कक्षा 9 व 11 के लिए 20 रूपये।

(8) पुनः परीक्षा (नियमित विद्यार्थियों हेतु) :–

1. **पात्रता** : वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने के योग्य विद्यार्थी यदि वार्षिक परीक्षा में रूग्णता प्रमाण पत्र देता है, तो वह उन सभी विषयों में जिनके लिए रूग्णता प्रमाण पत्र दिया गया है। पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा।
2. **परीक्षा आयोजन** : पुनः परीक्षा उन्ही तिथियों में होगी जिन तिथियों में पूरक परीक्षा आयोज्य होगी।
3. **पुनः परीक्षा शुल्क (प्रति विषय)** : कक्षा 9 एवं 11 के लिए 20 रूपये।
4. **परीक्षा परिणाम** : सामयिक परखों, अर्द्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा/पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़कर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा। जिन विषयों में विद्यार्थी ने पुनः परीक्षा दी है। उन विषयों में वह कृपांक का अधिकारी नही होगा। शेष विषयों में नियम 5 के अनुसार कृपांक का अधिकारी होगा।

(9) उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा :–

1. प्रत्येक सामयिक परख एवं अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दिखाई जावे।
2. सभी परीक्षार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को विद्यालय में आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखा जावे।

3. परिवीक्षण अधिकारियों द्वारा विद्यालय के परिवीक्षण के अवसर पर उक्त रिकार्ड का निरीक्षण किया जावे।

(10) अन्य नियम :–

1. कोई विद्यार्थी यदि अपनी अर्द्धवार्षिक परीक्षा में रूग्णता के कारण सम्मिलित न हो तो उसे अपना रूग्णता प्रमाण पत्र परीक्षा/प्रश्न पत्र प्रारम्भ होने के सात दिवस की अवधि में प्रस्तुत करना होगा।
2. परीक्षाफल घोषित होते ही परीक्षाफल की प्रति परिणाम घोषित करने के उसी दिन अथवा अगले दिन नियन्त्रण अधिकारी के पास प्रेषित की जावे।
3. विद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित करने के पश्चात् उसी दिन अथवा अधिकतम दो दिन की अवधि में परीक्षार्थियों को उनके प्रगति पत्र दे दिये जावे।
4. परीक्षाफल के पुनरावलोकन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित शुल्क रूपये 20 प्रति विषय के साथ परीक्षाफल घोषित होने के पश्चात् सात दिन की अवधि में संस्था प्रधान के पास विद्यार्थी या उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत करना होगा।
5. पुनरावलोकन में केवल निम्नलिखित बातों की जांच सम्मिलित होगी :–

   (अ) सभी प्रश्न जॉचे गये है या नही।
   (ब) अंको का योग सही है या नही।
   (स) ऐसे पुनरावलोकन के सभी मामलों का निर्णय पूरक परीक्षा से पूर्व हो जाना चाहिए।

6. प्रगति प्रत्र की दूसरी प्रति 20 रूपये शुल्क सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकेगी। जिस पर द्वितीय प्रति अंकित करना जरूरी है तथा स्थाई अभिलेख में भी इन्द्राज किया जावे।
7. कोई भी छात्र अन्य छात्र की जॉची हुई सामयिक परख या अर्द्धवार्षिक परीक्षा की उत्तरपुस्तिका देखने के लिए संस्था प्रधान से लिखित में अनुमति प्राप्त कर प्रति विषय 10 रूपये की दर से शुल्क जमा करवाकर संस्था प्रधान के समक्ष ऐसी उत्तर पुस्तिका देख सकेंगा। यदि उक्त छात्र या उसके अभिभावक द्वारा उत्तरपुस्तिका को नुकसान पहुचाया जाता है तो संस्था प्रधान उसके विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर प्रतिलिपि अपने नियन्त्रण अधिकारी को देगा।

(11) स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु नियम :–

1. कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षा में परीक्षार्थी ने यदि नियमानुसार स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में दी हो तो वह उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश ले सकता है।
2. यदि कोई स्वयंपाठी परीक्षार्थी कक्षा 9 में नियमित रूप से प्रवेश लेना चाहता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान के नियमानुसार प्रवेश दिया जावे।

(12) परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में नियम :–

(अ) निम्न प्रकार के व्यवहार अनुचित साधनों का प्रयोग माने जायेंगे :–

1. परीक्षा कक्ष में किसी विद्यार्थी को सहायता देना अथवा उससे या अन्य किसी व्यक्ति से सहायता प्राप्त करना
2. परीक्षा कक्ष में कागज, पुस्तक, कॉपी अन्य अवांछनीय सामग्री अपने पास/मुह में/डैस्क में/उत्तरपुस्तिका आदि में या परीक्षा भवन के आस–पास रखना।

3. उत्तरपुस्तिका चोरी से लाना या ले जाना व उत्तरपुस्तिका में अपशब्द पूर्ण व अश्लील भाषा का प्रयोग करना या करने का प्रयत्न करना या दुराचरण करना।

(ब) अनुचित साधनों के प्रयोग की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (यदि किसी परीक्षार्थी पर अवांछनीय सामग्री का प्रयोग कर लेने या करने का प्रयत्न करने का सन्देह हो तो) :–

1. संबंधित विक्षक या अधीक्षक परीक्षार्थी की तलाशी ले सकेंगे।
2. परीक्षार्थी को उत्तरपुस्तिका, सन्देहास्पद सामग्री सहित उससे लेली जायेगी और उसका स्पष्टिकरण लिखवाया जाकर प्राप्त सामग्री पर उसके हस्ताक्षर करवाकर शेष प्रश्नों के उत्तर देने के लिये नई उत्तरपुस्तिका देदी जायेगी।
3. यदि परीक्षार्थी स्पष्टीकरण देने या सामग्री पर हस्ताक्षर करने से इन्कार करें या परीक्षा केन्द्र से भाग जाये तो विक्षक आस–पास बैठे हुए परीक्षार्थियों से उस पर हस्ताक्षर करवालेवे।
4. उस सामग्री पर परीक्षार्थी, विक्षक एवं पर्यवेक्षक (सूपरवाईजर) तथा संस्था प्रधान के हस्ताक्षर कर सीलबन्द कर विद्यालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
5. ऐसे प्रकरणों के साथ निम्न सामग्री भेजी जायेगी :–
   - विद्यार्थी द्वारा लिखी गई उत्तरपुस्तिकाएं।
   - वह सामग्री जिसे नकल करते हुए पकड़ा जाये।
   - विद्यार्थी शिक्षक परीवीक्षक के बयान।
   - संस्था प्रधान की टिप्पणी।
   - संबंधित विषय के प्रश्न पत्र की एक प्रति।
   - अन्य कोई सामग्री अथवा प्रमाण जो संस्था प्रधान आवश्यक समझे।

(13) अनुचित साधनों के प्रयोग के बारे में दण्ड देने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

इस प्रकार के समस्त अनुचित साधनों के प्रयोग के मामलों पर विचार के लिए विद्यालय स्तर पर निम्नांकित सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा :–

1. सीनियर माध्यमिक विद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों के लिए :–
   1. संबंधित संस्था प्रधान
   2. परीक्षा प्रभारी (संबंधित संस्था)
   3. संस्था प्रधान द्वारा मनोनित संस्था का वरिष्ठतम शिक्षक
2. उक्त समिति समस्त प्रकरणों पर निर्णय परीक्षा समाप्त होने के तीन दिन के भीतर कर लेगी। तब तक संबंधित परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक रखा जायेगा।
3. समिति की सिफारीश पर अन्तिम निर्णय लेकर संबंधित संस्था प्रधान आदेश जारी करेंगे।
4. विद्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्णय नही होने की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का निर्णय अन्तिम होगा।

(14) दण्ड :–

प्रकरण की गंभीरता के अनुरूप समिति निम्न में से किसी एक दण्ड को दे सकेंगी :–

1. जिन विषय में यह पाया जाय की नकल की सामग्री लाई तो गई थी परन्तु उसका उपयोग नही किया गया। ऐसे मामले में प्राप्त अंकों मे से 10 प्रतिशत अंक कम कर दिये जायेगे।
2. अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाये जाने पर प्रथम उत्तरपुस्तिका का निरस्त कर दूसरी उत्तरपुस्तिका के आधार पर जांच की जायेगी।
3. दोषी परीक्षार्थी के उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
4. परीक्षार्थी की सम्पूर्ण परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
5. जहां विस्तृत पैमाने पर नकल की गई थी, वहां पर जिस प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों से संबंधित हो, वह परीक्षा निरस्त करदी जायेगी।
6. जहां कही ऐसे दोष में किसी/किन्ही शिक्षक अथवा कर्मचारी के लिप्त होने पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक नियमो के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही संक्षम अधिकारियों को प्रस्तावित की जावे।

(15) अन्य नियम :–

1. किसी भी परीक्षार्थी को यह अधिकार नही होगा कि वह अपना प्रतिनिधित्व किसी वैधानिक प्रामर्शदाता, एडवोकेट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा केन्द्राधीक्षक अथवा उक्त समिति के समक्ष करा सकें।
2. यदि परीक्षा के समय का अथवा उससे संबंधित कोई मामला उपर्युक्त किसी प्रावधान के अन्तर्गत न आये तो भी संस्था प्रधान यदि आवश्यक समझे तो उस मामले में इन नियमों में बताई गई पद्धति के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकारी होगा।

(16) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा समय–समय पर प्रस्तावित सम्बद्ध आदेशों के अनुरूप इन नियमों में संशोधन मान्य होंगे।

(17) परीक्षा संबंधित इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आये विषयों पर विभागाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होंगा।

28/3/12

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर